362000

38480

सर्टि- विकाश कुमार सिंह जमा मो० 62000/- में कादर खाता
क्वार्टर एवं में जमा पोखरी 3/4 डी० जमीन खोजाखादकोष
का क्रेता, कुमार फ़ैंकर समक्ष किया।

Kumar Bishwa Prakash

प्रतिबंधित भूमि से प्लॉट
संख्या 21/A मुक्त है।

Online Fee Paid
ID/GRN No. ....

A (1) 28860
L. L. R. 3
P. Fee 1
28864

1 लेख्यकारी गण का नाम वो पूरा पता:-

(i) श्री विकाश कुमार सिंह] दोनों के
(ii) श्री कुमार विश्व प्रकाश] पिता का नाम
स्व० विश्वनाथ सिंह दोनों के जाति
सामान्य (सी० एन० टी० एक्ट 1908 के
अंतर्गत आच्छादित नहीं है) निवास
स्थान ग्राम व डाकघर कमगारपुर
थाना हुसैनाबाद जिला पलामू
वर्तमान निवास स्थान आजादनगर
सुदना डाकघर सुदना थाना

पड़वा, कर्पूरवा, थाना- डालटनगंज, जिला- पलामू

2

मेदिनीनगर जिला पलामू पेशा कृषि एवं व्यवसाय राष्ट्रीयता भारतीय।
PAN- (i) BFOPS3639P (ii) AMHPP0351J
आधार नं०-(i) 4428 2176 2152 (ii) 7018 3178 3279
शपथ पत्र सं० २०८५ २०८६ दिनांक 08-08-2023

2- लेख्यधारी का नाम वो पुरा पता:-

श्रीमती मंजु देवी पति का नाम श्री अरुण राम कायम अनु सूचित जाति (सी० एन० टी० एक्ट 1908 के अन्तर्गत आच्छादित है) निवास स्थान ग्राम बनाही डाकघर चौकड़ी थाना हैदरनगर जिला पलामू पेशा गृहिणी राष्ट्रीयता भारतीय।
PAN- CSGPD5925H आ० नं० 3026 7373 4455
शपथ पत्र सं० २०८६ दिनांक 08-08-2023 ई०।

3- लेख्य प्रकार:- विक्रय पत्र केवाला (sale deed)।

4- देय मूल्य:- मो० ६,६२,000/- (छौ लाख बासठ हजार रुपये)।
बाजार मूल्य:- मो० ६,६१,१५१/- (छौ लाख एकसठ हजार एक सौ एक्यावन रुपये)।
दर:- मो० २,५६,३००/- रुपये प्रति डि० आवासीय।

विकास कुमार सिंह

३

सम्पत्ति :- मवाजी 03.75 (तीन दशमलव सात पांच) डी० जमीन आवासीय गृहनिर्माण योग्य वास्ते गृह निर्माण हेतु वाके मौजा बारालोटा वार्ड नं० 08 थाना नं० 1 अंचल मेदिनीनगर जिला पलामू बुलाक व जिला अवर निबंधन कार्यालय मेदिनीनगर जिला पलामू का वाकियत करता पैतृक खरीदगी रैयती सम्पत्ति में से अपने अपने हिस्से से बिक्री करते हैं, जिनका केवाला नं० 10369 बुक 1 भोलूम 230 पेज नं० 341 से 366 तक वास्ते दिनांक 26-10-2005 ई० है, नामांतरण वाद सं० 976/2005-2006 के माध्यम से नामांतरण हो कर मांग लेखा कारी गण के पिता के नाम से कम्प्युटरी रजिस्टर दो के ले० सं० 4565 भाग वर्तमान 29 पृष्ठ सं० 108 पर चलता है।

दस्तावेज के साथ बिक्री भूमि का मानचित्र संलग्न है जो इसका अभिन्न अंग है नगर निगम होल्डिंग नं०-08A00001780000MO

थाना नं०	तौजी नं०	खेवट नं०	खाता नं०	मौजा
198	51	1	1	बारालोटा

गवाह - पुनलाल प्रसाद
पिता - स्व० नरसिंह साव
ग्राम - टाइपस्ट फेज - नामांकपुर
थाना - पांडवा जिला - पलामू
[illegible]

[illegible]

४

खाता नं०	प्लौट नं०	रकबा डी० में	चौहद्दी
32 (बत्तीस)	21 (एक्कीस)	03.७५ तीन दशमलव सात पांच डी०	उ० जितेन्द्र प्रसाद द० पूर्व से 20 फीट चौड़ा रोड पू० रीता देवी प० निज विक्रेतागण

विक्रीभूमि का माप फीट में

उत्तर तरफ - पूरब से पश्चिम ३४ फीट ६ इंच
दक्षिण तरफ - पूरब से पश्चिम ३४ फीट ६ इंच
पूरब तरफ - उत्तर से दक्षिण ४७ फीट ४ इंच
पश्चिम तरफ - उत्तर से दक्षिण ४७ फीट ६ इंच

सलाना माल:- मो० 3/- रुपये अलावे सेस-।

नाम मालिक:- झारखण्ड सरकार द्वारा अंचलाधिकारी मेदिनीनगर, पलामू-।

विदित हो कि पक्षीकारान के खाता संख्या पांच की वर्णित सम्पत्ति लेख्यकारीगण के पिता के द्वारा खरीदगी रैयती है, खरीदगी के दिन से वर्णित सम्पत्ति पर कब्जा दखल कायम है पिताजी का नाम सरकार के सिरिस्ते में दर्ज है व सलाना माल देकर मालगुजारी की रसीद हासिल करते चले आ रहे है। लेख्यकारीगण के पिताजी के मृत्यु

प्रियंका कुमारी सिंह

के बाद वर्णित सम्पत्ति लेख्य कारीगण को उत्तराधिकार में मिला है, जिस पर शान्ति-पूर्वक अपना-अपना कब्जा दखल कायम व देख-रेख होते चला आ रहा है ऊपर वर्णित सम्पत्ति हर तरह से पाक व साफ है किसी प्रकार के कर्ज भार देन से मुक्त है और न तो कोई कागजात रेहन है, वर्णित सम्पत्ति पर किसी तरह का कोई वाद विवाद कोई मुकदमा नहीं है, वर्णित सम्पत्ति संबंधी में सभी दोषों से मुक्त है

यह कि इस समय लेख्य कारीगण को रुपये की अति आवश्यकता वास्ते करने अपना-अपना आवश्यक कार्य है, जो बिना ऊपर वर्णित सम्पत्ति को बिक्री किये रुपये का प्रबंध होना असंभव प्रतीत हुआ।

लिहाजा ऊपर वर्णित सम्पत्ति को जब बिक्री करने के लिये प्रचार-प्रसार किये तो कई व्यक्ति एवं लेख्य धारी भी आये, जिनमें लेख्य धारी ही वर्णित सम्पत्ति को सबसे अधिक मूल्य मो० रु० 92,000/- (नौ लाख बारह हजार रुपये में खरीदने को तैयार हुए, जो आज के बाजार भाव बिक्री के

लिखाता ग्राहक [illegible]

अनुकूल है। दोनों पक्षों के बीच वर्णित सम्पति का सौदा मो० ८,६२,000/- (नौ लाख बासठ हजार रुपये में तय हुआ। तय जरसमन में से लेख्यधारी मो० ८,७५,000/- (आठ लाख पचहत्तर हजार रुपये बैंकिंग प्रणाली के द्वारा लेख्यकारी के खाता में भुगतान किये व मो० ८७,000/- (सतासी हजार) रुपये नकद लेख्यकारी प्राप्त किये। इस तरह तय जरसमन का कुल रुपये वसूल हुआ। तय जरसमन का कुल रुपये पाकर यह विक्रय-पत्र केवाला लिखे तथा कुल कब्जा दखल भी आज के तीथि से लेख्यधारी को सौंप दिया

अब चाहिये कि ऊपर वर्णित सम्पति पर लेख्यधारी अपना कब्जा दखल कायम कर घर मकान बनावें चाहर दिवारी का निर्माण करें। पेड़-पौधा लगावें। अपने तथा अपने

विकास कुमार सिंह

Kumar Bishwa Pankaj

परिवारों के उपभोग में लाया करें। अपना नाम सरकार के सरिश्ते में दर्ज कराकर सलाना माल देकर मालगुजारी की रसीद हासिल किया करें उक्त सम्पत्ति से लेख्यकारीगण व उनके वारिसान दर गुजरे व बाज आये

इसलिये आज लेख्यकारीगण अपनी-अपनी तन मन की पूरी सेहत में बिना किसी प्रकार के नशा खोर खिलाफ होशो हवाश में अपनी अपनी लाभ-हानि को अच्छी तरह से सोच-समझकर बिना किसी के दबाव नाजायज के यह विक्रय-पत्र बैनामा लिख दिए कि समय पर काम आवे व प्रमाण रहे। आज दिनांक 04 माह अगस्त सन् 2021 ई०।

दस्तावेज में वर्णित भूमि सरकारी भूमि, वन भूमि, मंदिर मस्जिद की भूमि भूदान की भूमि, किसी प्रकार से प्रतिबंधित भूमि तथा इसके हस्तान्तरण से सी० एन० टी० एक्ट का

प्रकाश कुमार सिंह

८

[illegible] हो रहा है

मंजु देवी

ह० [illegible] कुमार सिंह

प्रमाणित किया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति जिनका छायाचित्र दस्तावेज में लगा है, बाएं हाथ के सभी अंगुलियों का निशान मेरे सामने लिया गया है

कातिब:-

मनोज कुमार पाठक लाइसेंस

मेदिनीनगर-पलामू

दस्तावेज अनुज्ञप्ति सं० ११-८/०३ ई०

नोट:- केवाला पढ़कर दोनों पक्षों को सुना दिया जो ठीक है

ता० ०४-०८-२०२१ ई०